

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2528/2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 26 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908 ग्राम-कोन्हलियों पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/12/2023/एफ0सी0/547 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2296/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/155661/2021 दिनांक 13.03.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्न

प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	वन (संरक्षण एवं सम्बर्द्धन अधिनियम) के 1980 के उल्लंघन करने पर धारा-3ए, 3बी, के तहत प्रभागीय निदेशक द्वारा कार्यवाही की गयी है?	विषयगत प्रकरण में बिना स्वीकृति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन है। इसमें भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के अन्तर्गत एच-2 केस जारी करते हुए प्रतिकर की धनराशि रू0 40,000.00 ई-3 संख्या-12943/41 दिनांक 01.06.2023 द्वारा वसूल किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-3बी, के तहत कार्यवाही की गयी है। एच-2 केस की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R. Jyoti
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(ब) का उल्लंघन

रिपोर्ट नं० दिनांक 26/12/2023 रेंज देवरिया वीट तरकुलवा

रेंज केस नम्बर 40/2023-24 20 . 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता

अनुमान सिंह, पिता - शंकर सिंह, ग्राम - कौनूवा, पोस्ट - कंचनपुर, तालुका - देवरिया (उ०प्र०)

2. गवाह का नाम, आत्मज्ञ तथा पता

अनुमान सिंह, ग्राम - कौनूवा, पोस्ट - कंचनपुर, तालुका - देवरिया (उ०प्र०)

3. कथित अपराध का पूरा विवरण

देवरिया - तरकुलवा मार्ग कि० मी० 14 से 15 के गहम दूरी पर ग्राम - कौनूवा, पोस्ट - कंचनपुर, तालुका - देवरिया में बिना आरक्षक के अनुमान के 0-0750288 के संख्या वन गिर का गैर कानूनी प्रयोग किया जाना जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(ब) का उल्लंघन है।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

आज दि० 26/12/2023 को देवरिया - तरकुलवा मार्ग कि० मी० 14-15 के गहम दूरी पर ग्राम - कौनूवा, पोस्ट - कंचनपुर, तालुका - देवरिया में बिना आरक्षक के अनुमान के 0-0750288 के संख्या वन गिर का गैर कानूनी प्रयोग किया जाना जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(ब) का उल्लंघन है।